एक सबक़ इस्लाम से

सफ़वतुल उलमा मौलाना सैय्यद क़ल्बे आबिद साहिब क़िब्ला ताबा सराह

पिछले शुमारे से आगे

निश्चय ही वह्य का केन्द्र बनने के लिये मनुष्य के मन में ऐसी पवित्रता और श्रेष्ठता होना ज़रूरी है कि वह ईश्वरीय सम्बोधन का अधिकारी हो सके। परन्तु पैग़म्बर की अपनी ही क्षमता काफ़ी नही है। ईश्वर की ओर से भी सम्पर्क स्थापित किया जना आवश्यक है। ऐसा नही है कि जिसमें वह्य हासिल करने की क्षमता हो, वह चाहे यह सम्पर्क साघ के जो चाहे जान लें। मात्र बात समझाने के लिए यह उदाहरण दिया जा रहा है। वह्य से उपमा देने का कदापि उद्देश्य नहीं है। मतलब बस इतना है कि बात स्पष्ट हो जाये। रेडियो स्टेशन से कितनी भी वाणियाँ प्रसारित हो, हम नहीं सुन सकते जब तक कि हमारे पास उन लहरों को आकर्षित करने का यन्त्र न हो। लेकिन क्या उस यंत्र का, जो लहरों को सुनने योग्य बना सके, हमें उपलब्ध होना ही पर्याप्त है! जी नहीं, प्रसारण केन्द्र से लहरों का प्रसारित होना भी ज़रूरी है। नहीं तो आपका रेडियो चुप ही रहेगा।

पैग़म्बर के अलावा किसी और का यह समझना सम्भव नही कि 'वह्य' की कैफ़ियत क्या होती है। और यह कोई अचरज की बात भी नहीं। अगर किसी में श्रवण शक्ति मौजूद न हो तो क्या वह सुन सकता है! स्वर की लहरें कान के पर्दे से क्योंकर टकराती हैं और आवाज़ में किस तरह परिवर्तित हो जाती हैं! जिनकी आँखों में रौशनी न हो वह लाख समझाने से भी नहीं समझ सकते कि लाल, नीला और ज़र्द रंग कैसा होता है। इन में आपस में क्या फ़र्क़ (भेद) होता है। और आँख उनके बीच क्योंकर भेद महसूस करती है। जब अरबों इंसानों और असंख्य जानवरों को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं उनसे अगर कोई महरूम (वंचित) हो तो वह कैफ़ियत (परिस्थिति) को महसूस नहीं कर सकता तो इस विशेष योग्यता अथवा सलाहियत को दूसरे लोग कैसे समझ सकते हैं जो कि ज़माने में एक या कुछ व्यक्तियों को प्राप्त हो। चूँकि यह (व्यक्ति) इतने बुलन्द किरदार (उच्च चरित्र वाले) होते हैं कि उनकी ओर ग़लत दावे, की निस्बत या संकेत भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो बातें वह बयान करते हैं उनकी सच्चाई विभिन्न तरीक़ों से सिद्ध होती है। अतएव दावे का इन्कार सम्भव नहीं।

निष्पाप्यता (इस्मत)

ईश्वर की ओर से चुने हुये रहनुमाओं (पथ प्रदर्शकों) के लिये, चाहे वह पैग़म्बर हों या हज़रत मुहम्मद (स0) के बाद उनके उत्तराधिकारी हों, उनका निष्पाप्य होना आवश्यक है। 'निष्पाप्यता' उस शक्ति का नाम है जिसकी बिना पर निष्पापी, गुनाहे कबीरा व सग़ीरा (बड़े–छोटे गुनाह) से सुरक्षित रहे। इसी के साथ अल्लाह की तरफ से लुत्फ़ (विशेष कृपा) भी आवश्यक है। जो सहव या निस्यान (भूल चूक) और नादानिस्ता (अनजानी) ग़लतियों से सुरक्षित रखे। निष्पाप्यता इसलिए आवश्यक है कि अल्लाह को भी भरोसा हो कि यह मेरी और किसी बात का ग़लत संकेत नहीं देंगे और बन्दों को भी यक़ीन हो कि जो कुछ

पहुँचाया उसमें ज़रा सी भी कमी बेशी नहीं है बिलकुल वही है जो अल्लाह ने भेजा है। चूँकि पैग़म्बर मात्र संदेशवाहक की हैसियत नहीं रखते बल्कि उनका चरित्र और आचरण, आदर्श भी होता है। जैसा कि कुर्आन मजीद में हमारे पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (स0) के लिये कहा गया है कि, ''हे रसूल! कह दीजिये अगर तुम लोग अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे पिछले गनाुह मुआफ़ कर देगा।'' दसूरी आयत में इरशाद है, ''तुम्हारे लिये श्रेष्ठतम आचरण पैग़म्बर (स0) का है। यह उसके लिये है जो अल्लाह और क़यामत के दिन से आशा लगाये हो और ईश्वर–सुमिरन अधिकता से करता हो।''

अल्लाह उसके अमल को नमूना नहीं बना सकता जो ठोकरें खाता हो और ग़लतियाँ करता हो।

क़ुर्आने मजीद में है कि–

''वह कहते क्यों हो जो करते नहीं''

तो वह कैसे पसन्द करेगा कि उसके नुमाइन्दे दूसरों को तो अच्छाई की दावत या बुलावा दें और स्वयं अपनी कही बातों पर कार्यरत न हों। कुर्आने मजीद में हज़रत मुहम्मद (स0) के बारे में हुक्म दिया गया है कि

''रसूल जो हुक्म या आज्ञा दें उसको बजा लाओ और जिस बात से रोकें उससे रुके रहो यानी बाज़ रहो''

दूसरी आयत में इरशाद हुआ है कि–

''जिसने भी रसूल की इताअत की या आज्ञा का पालन किया उसने अल्लाह की इताअत या आज्ञा का पालन कर लिया।''

इस प्रकार उमूमी इताअत (सामान्य आज्ञा पालन) का आदेश उसी के लिये दिया जा सकता है जिस से ग़लती की सम्भावना न हो। दोनों जगह हज़रत पैग़म्बर (स0) का नाम लेकन आज्ञा पालन का आदेश नहीं दिया गया बल्कि रसूल यानी ओहदे (पदनाम) से (आज्ञा पालन) मुतअल्लिक़ किया गया। जिसका अर्थ यह है कि रिसालत का पद (पैग़म्बरी), इताअत की बुनियाद है! एक आयत में जनाब इब्राहीम (अ0) को सम्बोधित करके इरशाद हुआ है, ''मेरा पद किसी ज़ुल्म करने वाले को नहीं मिल सकता'' इसमें ईश्वर द्वारा नियत सभी पद शामिल हैं, चाहे वह नुबुवत हो, चाहे रिसालत हो या इमामत हो। इसी तरह ज़ुल्म में सामान्य रूप से प्रत्येक ज़ुल्म और बेजा बात शामिल है। चाहे वह ग़ैर पर हो या अपने नफ़्स पर। गुनाह (पाप) कम से कम अपने नफ़्स पर ज़ुल्म अवश्य होता है। क्योंकि हर मअ्सियत या गुनाह से प्रतिष्ठा में कमी आती है। तो आयत से नतीजा निकलता है कि अल्लाह की ओर से नियत किया हुआ कोई ओहदेदार (पदाधिकारी) किसी क़िस्म की भी ग़लती नहीं कर सकता।

देखने में यह बात समझ में नहीं आती कि कोई व्यक्ति पूरी उम्र हर प्रकार के गुनाह से क्योंकर सुरक्षित रह सकता है। लेकिन जब हम इस पर ध्यान दें कि मासूम (निष्पाप्य) वे व्यक्ति होते हैं जिनकी नज़र में अल्लाह की महानता और उसका प्रताप पूरी तरह दृष्टिगत होता है। वह इस महानतम हस्ती की, अपने हालातपर हर समय निगाह होने का विश्वास भी रखते हैं। उनको इसका भी पूरा ज्ञान होता है कि पाप के, नफ़्स पर क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं। और नफ़्स में कैसी गिरावट आ जाती है। तो क्या किसी बादशाह का निकटवर्ती जिसके दिल पर बादशाह की अज़मत (महत्ता) का सिक्का जमा हुआ हो, उसके सामने उस की अवज्ञा का साहस कर सकता है!

क्या ऐसा व्यक्ति जो ज़हर के प्रभाव से परिचित हो और आत्महत्या का इरादा न रखता हो, जान बूझकर ज़हर खा सकता है!

अगर यह दोनों बातें सम्भव नहीं तो ईश्वर के दरबार से निकटता रखने वाले व्यक्ति उसको हाज़िर या नाज़िर (उपस्थित अथवा देखने वाला) जानते हुए और पाप की गन्दगी से भलीभाँति अवगत होते हुए भी कैसे पाप कर सकते हैं।

उपरोक्त कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस्मत जब्री नहीं होती यानी निष्पाप्य होना ज़बरदस्ती लादा हुआ गुण नहीं होता कि यह ख़याल पैदा हो सके कि अल्लाह ने इन लोगों को मासूम बना दिया। अतएव इनके आचरण में इनकी अपनी इच्छा का कोई हाथ नहीं, जो ये प्रतिदान और पुण्य के अधिकारी हो सकें।

लेकिन हमारे बयान से यह बात ज्ञात हो जाती है कि ''मासूम'', चाहे वह पैग़म्बर हो या इमाम अपने संकल्प और इच्छा से अपने मन पर नियन्त्रण रखता है और ऐसा कुछ भी नहीं करता जो, अल्लाह की मर्ज़ी के विरूद्ध हो। ''मासूमीन'' वह लोग हैं जो इस ईश्वरीय कथन कि, ''तुम लोग कुछ चाहते नहीं मगर वह जो अल्लाह चाहता है'' को चरितार्थ करते हैं।

आख़री नबी (स0) (अन्तिम पैग़म्बर)

प्रत्येक प्रारम्भ का एक अन्त और प्रत्येक मुसाफ़िर की एक मंजिल होती है। मौन एवं जड़ द्रव्य ने यात्रा शुरु की, आकाश गंगा बनी, सितारों की पराकाष्ठा की मंज़िल वह धरती थी जो प्राणियों का केन्द्र बन सकी। जीवधारी और सांस लेने वाले प्राणियों की पूर्णता, मनुष्य के रूप में प्रकट हुई। मानवता की पराकाष्ठा और क्षमता सीमा पैग़म्बरी ठहरी पैग़म्बरी, पूर्णता की मंजिल की ओर बढ़ती रही यहाँ तक कि आखिरी पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद मुस्तफा (स0) की ज़ात में वह पूर्णता को प्राप्त हुई।

आप अल्लाह के अन्तिम संदेश और अन्तिम धर्मविधि के साथ 'पैग़म्बरी' के पद पर सुशोभित हुए। इसी धर्म विधि के लिये ईश्वरीय उद्घोष हुआ ''आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिये पूरा कर दिया और अपने वरदान की भी पूर्ति कर दी।''

(हे मानव जाति!) तुम्हारे लिये इस्लाम धर्म को पसन्द कर लिया अब इसमें कोई फेर–बदल, घटती–बढ़ती, पूरा होने और ईश्वर के राज़ी होने के विपरीत है।'' हज़रत पैग़म्बर (स0) के लिये क़ुर्आन ने स्पष्ट कर दिया कि, ''मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं परन्तु अल्लाह के पैग़म्बर और नबियों में सबसे अन्तिम हैं। आपकी ज़ात पर पैग़म्बरी की श्रृंखला पूरी हो गई।

यह तो सम्भव है कि हज़रत मुहम्मद (स0) से पहले ऐसे पैग़म्बर रहे हों जिनके नाम का उल्लेख क़ुर्आन मजीद या पुष्ट हदीसों में नही आया है क्योंकि क़ुर्आन का साफ़ एलान है कि, ''हमने प्रत्येक जाति के लिये पथ प्रदर्शक भेजे हैं।'' इसके अलावा यह भी कहा गया है कि ''ऐसे रसूल भी हैं जिनकी बातें तुम से बयान कर दीं और ऐसे रसूल भी हैं जिनकी चर्चा तुम से हमने क़ुर्आन के अन्दर कहीं नहीं की।'' लेकिन हज़रत पैग़म्बर मुहम्मद (स0) के बाद जो भी पैग़म्बरी का दावा करे वह झूठा है। आप के बाद किसी अन्य के नबी मानने वाले क़ुर्आन और निरन्तर हदीसों का, जिनसे पैग़म्बरी के क्रम का समाप्त हो जाना सिद्ध है, इन्कार कर रहे हैं। अतः वह इस्लाम से बाहर हैं।

(जारी)